प्रवेश विवरणिका

सत्र 2022-23

जगतपुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय

जगतपुर, वाराणसी

संक्षिप्त परिचय

जगतपुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय की स्थापना वाराणसी शहर से 9 किमी0 दूर पश्चिम दिशा में वाराणसी इलाहाबाद जी0टी रोड पर वर्ष 1971 में हुई। ग्रामीण अंचल में अवस्थित महाविद्यालय का उद्देश्य सदा से विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्रदान करना, आत्मनिर्भर बनाना व प्रबुद्ध एवं कुशल नागरिक–समुदाय विकसित करना है।

प्रारम्भ में महाविद्यालय को स्नातक कला संकाय के विषयों में सम्बद्धता तत्कालीन गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर से प्राप्त हुई जो समाज की आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं के सर्वथा अनुरुप थी। स्नातकोत्तर स्तर पर समाजशास्त्र, व इतिहास एवं स्नातक वाणिज्य एवं विज्ञान वर्ग की मान्यता वर्ष 1996 में तत्कालीन विश्वविद्यालय वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर से प्राप्त हुई। यू.जी.सी. नई दिल्ली द्वारा गुणवत्ता संवर्धन हेतु स्नातक स्तर पर कम्प्यूटर अप्लीकेशन व पत्रकारिता जैसे व्यावसायिक विषयों का शिक्षण सर्वप्रथम इसी महाविद्यालय में प्रारम्भ हुआ। महाविद्यालय ने पारम्परिक शिक्षा के साथ–साथ आधुनिक शिक्षा के बढ़ते आयाम के इस क्रम में एक कदम और बढ़ाते हुए स्नातक स्तर पर बी.सी.ए. संकाय व स्नातक विज्ञान संकाय में वोकेशनल विषय बायोटेक्नोलॉली व इण्डस्ट्रियल माइक्रोबायलाजी का शिक्षण कार्य अत्याधुनिक उपकरणों से युक्त प्रयोगशाला के साथ वर्ष 2003 में प्रारम्भ किया। स्नातकोत्तर रसायन, गणित, भौतिक व स्नातक बी.एफ.ए., बी.बी.ए. विषयों का अध्ययन भी वर्ष 2021 से प्रारम्भ हो गया है।

महाविद्यालय छात्र सुविधाओं के आधुनिकीकरण एवं संवर्धन हेतु संकल्पित है। इस दिशा में महाविद्यालय ने संकायवार आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित भवनों का निर्माण कराया। प्रायोगिक विषयों हेतु उपकरणो से युक्त प्रयोगशाला तथा पुस्तकालय (1 लाख से अधिक पुस्तकें, पत्र–प्रत्रिकाएँ) उपलब्ध है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु आधुनिक साज–सज्जा से युक्त बहुउद्देशीय सभागार का निर्माण, विभिन्न सांस्कृतिक एवं शैक्षणित कार्यक्रमों जैसे सेमिनार, व्याख्यान–माला, वर्कशाप इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुए महाविद्यालय द्वारा कराया गया। वर्ष 2009 से महाविद्यालय की सम्बद्धता महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वारणसी से हुई। तदुपरान्त (विकास यात्रा को जारी रखते हुए) महाविद्यालय ने स्नातकोत्तर स्तर पर गृहविज्ञान, हिन्दी, मनोविज्ञान व एम.कॉम. की सम्बद्धता भी प्राप्त की। वर्ष 2012 में महाविद्यालय को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यानयन परिषद् (NAAC) द्वारा 'बी' श्रेणी प्रदान किया गया। विद्यार्थियों के खेल सुविधा दृष्टिगत अत्याधुनिक वालीवाल कोर्ट बैडमिण्टन कोर्ट, वास्केटवाल कोर्ट की व्यवस्था की गयी।

नई शिक्षानीति 2020 के दृष्टिगत स्मार्ट बोर्ड, आधुनिक कम्प्यूटर, आधुनिक स्मार्ट कक्ष का निर्माण कराया गया।

2022-2023 **COMPULSORY**

Flow Chart of Online Registration
Jagatpur P.G. College, Varanasi

Registration is Compulsory for Scholarship, library, Identity Card, etc.

↓

Visite to website htt://onlinejppgc.org

↓

Click on Online Registration Button

↓

Pay Using Payment Gateway

↓

Student enter their personal Details, Academic Details, Course Details, Photo& Signature

↓

Print your Registration form

↓

END

***Note: Subject will be allotted at the time if counselling**

2022-2023 आवश्यक

ऑनलाइन पंजीकरण का प्रवाह चार्ट
जगतपुर पी.जी. कॉलेज, वाराणसी

पंजीकरण छात्रवृत्ति, पुस्तकालय,
परिचय–पत्र आदि हेतु अनिवार्य है।

↓

वेबसाइट **http://onlinejppgc.org** पर जाएँ

↓

छात्र–ऑनलाइन पंजीकरण
बटन पर क्लिक करे

↓

पेमेंट गेट वे का उपयोग करते हुए
प्रवेश शुल्क जमा करें

↓

अभ्यर्थी अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक विवरण,
पाठ्यक्रम विवरण, फोटो और हस्ताक्षर दर्ज करें

↓

अपना आवेदन पत्र व पंजीकरण पत्र प्रिंट करें।

↓

’नोटः काउंसलिंग के समय विषय आवंटित किया जाएगा

समाप्त

प्रवेश सत्र 2022–23 से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देश–

1. 2022–2023 से महाविद्यालय में उपलब्ध सभी पाठ्यक्रमों में पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर ही प्रवेश किया जायेगा।
2. प्रवेश समिति प्रवेश के सम्बन्ध में कोई भी निर्णय की अन्तिम अधिकारी है।

स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष प्रवेश सत्र 2022–23 से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथियाँ

स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर सत्र 2022–23 में प्रवेश हेतु होने वाली प्रवेश महाविद्यालय में निर्धारित तिथि एवं समय पर सम्पन्न होगी।

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का शुल्क विवरण

स्नातक प्रथम वर्ष	:	500/–मात्र	II & III	:	300/मात्र
स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर	:	500/–मात्र			

नोट– अभ्यर्थियों का प्रवेश शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा।

प्रवेश सम्बन्धी सूचना–

सामान्य नियम–

1. (क) 2022–23 में पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर ही प्रवेश किया जायेगा।

   (ख) एम.ए. प्रथम वर्ष (समाजशास्त्र, म0 इतिहास, अंग्रेजी, गृहविज्ञान, हिन्दी, मनोविज्ञान,) में प्रवेश हेतु प्रवेशार्थी को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विषय से क्रमशः स्नातक (समाजशास्त्र, म0 इतिहास, अंग्रेजी, गृहविज्ञान, हिन्दी, मनोविज्ञान,) के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। एम.एस–सी. में प्रवेश हेतु सम्बन्धित विषय से स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

   (ग) बी.सी.ए./ एम.ए. व एम.एस–सी. के समस्त विषयों में उपस्थिति बायोमैट्रिक मशीन से ली जायेगी तथा 75 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है।

स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु–

1. तीन वर्ष से अधिक अन्तराल 2019 से पूर्व उत्तीर्ण प्रवेशार्थी का प्रवेश नहीं होगा।
2. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा घोषित तिथि के पश्चात किसी भी संकाय में प्रवेश नहीं होगा।
3. यदि कोई प्रवेशार्थी विकल्प–स्वरुप एक से अधिक संकायों में प्रवेश आवेदन पत्र भरता है तो उसे प्रत्येक संकाय के लिए अलग–अलग प्रवेश परीक्षा आवेदन–पत्र भरना आवश्यक है। किसी भी अवस्था में एक दूसरे संकाय में प्रवेश परीक्षा आवेदन–पत्रों का स्थानान्तरण नहीं होगा।
4. प्रवेश के समय छात्रों को अपने प्रवेश आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करने हेतु समस्त प्रमाण–पत्रों की मूल एवं सत्यापित छाया प्रतियाँ लाना आवश्यक होगा। स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश लेते समय प्रवजन प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5. एम.ए./एम.कॉम./एम.एस–सी. में विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त सीटों की संख्या नियमानुसार है–

i)	एम.ए. समाजशास्त्र	60 सीट
ii)	एम.ए. मध्यकालीन इतिहास	60 सीट
iii)	एम.ए. अंग्रेजी	60 सीट
iv)	एम.ए. हिन्दी	60 सीट
v)	एम.ए. गृहविज्ञान	30 सीट
vi)	एम.ए. मनोविज्ञान	30 सीट
vii)	एम.कॉम.	60 सीट
viii)	गणित	60 सीट
ix)	भौतिक	30 सीट
x)	रसायन	30 सीट

6. बी.ए./बी.कॉम./बी.एस–सी./बी.सी.ए., बी.बी.ए., बी.एफ.ए. में विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त सीटों की संख्या निम्नानुसार है–

i)	कला संकाय	1500 सीट
ii)	वाणिज्य संकाय	376 सीट
iii)	विज्ञान संकाय	640 सीट
iv)	बी.सी.ए.	60 सीट
v)	बी.बी.ए.	60 सीट
vi)	बी.एफ.ए.	30 सीट

<u>आरक्षण</u>

महाविद्यालय में प्रवेशार्थियों हेतु आरक्षण सम्बन्धी आवश्यक निर्देश–

अन्य पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का प्रवेश राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जातियों को ही देय होगा। जाति प्रमाण–पत्र में अभ्यर्थी की जाति का उल्लेख होना आवश्यक है। जाति का उल्लेख न होने पर या अन्य पिछड़े वर्ग के प्रमाण–पत्र पर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जानजाति के जाति का उल्लेख होने पर या अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के प्रमाण–पत्र पर अन्य पिछड़े वर्ग जाति का उल्लेख होने पर आरक्षित श्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा तथा अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी का माना जायेगा। आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगा। उपरोक्त सीटों पर निम्न प्रावधान के अनुसार आरक्षण लागू होगा–

(क) 1. अनुसूचित जनजाति 22.5 प्रतिशत

2. अन्य पिछड़े वर्ग 27 प्रतिशत

(ख) (क) के अर्न्तगत (ख) आरक्षण प्रदान किया जायेगा–

1. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित 2 प्रतिशत

2. उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त अथवा अपंग रक्षाकर्मियों अथवा युद्ध में मारे गये रक्षाकर्मियों अथवा उ.प्र. में तैनात रक्षाकर्मियों के पुत्र/पुत्रियों को 5 प्रतिशत

3. विकलांग अभ्यर्थी 3 प्रतिशत

4. महिला 20 प्रतिशत

(शासनादेश सं. 1191/70–2–200(58)79, दिनांक 11 जून 2011)

5. अल्पसंख्यक– नियमानुसार

भारांक

प्रमाण–पत्र धारकों को नियमानुसार भारांक देय होगा–

1. एन.सी.सी. प्रमाण–पत्र धाराकों हेतु
2. एन.एस.एस. प्रमाण–पत्र धाराकों हेतु
3. रोवर्स/रेंजर्स प्रमाण–पत्र धाराकों हेतु
4. राष्ट्रीय/ राज्य स्तरीय/विश्वविद्यालय खेलकूद की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को नियमानुसार भारांक देय होगा।

प्रवेश नियम

1. प्रवेश लेते समय आवेदक को वांछित प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. बैक पेपर में उत्तीर्ण न होने पर प्रवेश निरस्त माना जायेगा।
3. अभ्यर्थी को प्रवेश लेते समय अन्तिम संस्था द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण–पत्र, स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र मूल रुप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. अनुचित साधन प्रयोग वाले छात्रों का प्रवेश किसी भी दशा में नहीं होगा।
5. निर्धारित तिथि तक शुल्क न जमा करने पर अभ्यर्थी का प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।
6. महाविद्यालय प्रशासन बिना कोई कारण बताये किसी छात्र प्रवेश निरस्त कर सकता है।
7. प्रवेश शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा।

शपथ–पत्र

जो छात्र संस्थागत न होने से अपनी शिक्षण संस्था से चरित्र प्रमाण–पत्र नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं तथा उनके अध्ययन काल में अन्तराल है, उन्हें अध्ययन अन्तराल एवं चरित्र प्रमाण–पत्र के लिए नोटरी या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त हलफनामा प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा जिसमें निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख होना आवश्यक है–

1. यह कि मैंने सत्र (पिछले सत्र)..................में किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर अध्ययन नहीं किया है। मैं किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा निष्कासित भी नहीं किया गया हूँ।
2. यह कि मैं सत्र......में.............. के कारण किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर न पढ़ सका/सकी।
3. यह कि मैं भारतीय दण्ड विधान की किसी भी आपराधिक धारा के अर्न्तगत न तो दण्डित हूँ और न ही इस प्रकार का कोई मुकदमा मेरे विरुद्ध अदालत में विचाराधीन है। (यदि ऐसा कोई मामला विचाराधीन हो तो स्पष्टीकरण दें)
4. यह कि मैं महाविद्यालय में अपने अध्ययन काल में निष्ठापूर्वक अध्ययन करुँगा तथा महाविद्यालय के सभी नियमों का पालन करते हुए अनुशासित रहूँगा।
5. यह कि मेरा चरित्र उत्तम है।

पाठ्यक्रम

प्रवेशित अभ्यर्थी अपने कक्षा एवं विषय से सम्बन्धित पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mgkvp.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विभिन्न संकाय

संकाय विषयों का समूह है यथा–

कला मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय

(Faculty of Arts, Humanities and Social Science)

भाषा संकाय

(Faculty of Launguage)

विज्ञान संकाय

(Faculty of Science)

वाणिज्य संकाय

(Faculty of Commerce)

(संकाय निर्धारण हेतु उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 12/सत्तर–3–2021–16(26)/2011 दिनांक 15 जून, 2021 के अनुसार वर्गीकृत)

कला, मानविकी, समाजिक विज्ञान संकाय के विषय एवं भाषा संकाय

मुख्य विषय / Major Subjects

Subjects- Faculty of Arts, Humanities and Social Science and Launguage

1– Economics (अर्थशास्त्र) 2–Education(शिक्षाशास्त्र) 3–PoliticalScience(राजनीति शास्त्र) 4–Geography(भूगोल) 5–Home Science(गृहविज्ञान)'6–Journalism(पत्रकारिता) 7–Psycholgy(मनोविज्ञान) 8–Med.&Modern History(मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास) 9–Defense &Stategic Studuies (सैन्य विज्ञान) 10–Sociology(समाजशास्त्र) 11–Hindi(हिन्दी) 12–English(अंग्रेजी) 13–Sanskrit(संस्कृत)

माइनर इलेक्टिव / Minor Elective

1. Business Communication
2. Business Economics

कौशल विकास पाठ्यक्रम कला संकाय(Vocational/Skill Development Course)

1. साइकोलाजिकल टेस्टिंग
2. विज्ञापन
3. मार्केटिंग सेल्समैनशिप

सहपाठ्यक्रम / Co-curricular

1. खाद्य, पोषण एवं स्वच्छता (Food nad Nutrition and Hygiene)

Subjects- Faculty of Science

मुख्य विषय / Major Subjects

1– Biotechnology(जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान) 2–Physics(भैतिकी विज्ञान) 3–Botany(वनस्पति विज्ञान) 4–Statistics(सांख्यिकी) 5–Chemistry(रसायन विज्ञान) 6–Zoology(प्राणि विज्ञान) 7–Computer Application(कम्प्यूटर अनुप्रयोग) 8–Industrial Microbiology(औद्योगिकी सूक्ष्म विज्ञान) 9–Mathematics(गणित)

माइनर इलेक्टिव / Minor Elective

1. Business Communication
2. Business Economics
3. Personal and Professional Excellence

कौशल विकास पाठ्यक्रम कला संकाय(Vocational/Skill Development Course)

1. साइकोलाजिकल टेस्टिंग
2. विज्ञापन
3. मार्केटिंग सेल्समैनशिप

सहपाठ्यक्रम / **Co-curricular**

1. खाद्य, पोषण एवं स्वच्छता (Food nad Nutrition and Hygiene)

Subjects- Faculty of Commerce

मुख्य विषय / Major Subjects

Semester I

Major Paper Compulsory

1–Business Organization

2– Business Statistics

3– Business Communication

माइनर इलेक्टिव / **Minor Elective**

1. Communication and Language
2. Basic Economics
3. Personal and Professional Excellence

कौशल विकास पाठ्यक्रम कला संकाय(**Vocational/Skill Development Course**)

1. साइकोलाजिकल टेस्टिंग
2. विज्ञापन
3. मार्केटिंग सेल्समैनशिप

सहपाठ्यक्रम / Co-curricular

1. खाद्य, पोषण एवं स्वच्छता (Food nad Nutrition and Hygiene)

बी.सी.ए. व्यावसायिक पाठ्यक्रम

बी.बी.ए. व्यावसायिक पाठ्यक्रम

बी.एफ.ए. व्यावसायिक पाठ्यक्रम

स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु अर्हता

बी.ए.– इण्टरमीडिएट या समकक्ष कक्षा में उत्तीर्ण।

बी.एस.–सी.– इण्टरमीडिएट या समकक्ष (विज्ञान वर्ग के विषयों के साथ) कक्षा में उत्तीर्ण।

बी.कॉम.– इण्टरमीडिएट या समकक्ष (वाणिज्य, गणित या अर्थशास्त्र विषयों के साथ) कक्षा में उत्तीर्ण।

बी.सी़.ए.– इण्टरमीडिएट या समकक्ष (विज्ञान वर्ग में गणित विषय के साथ) कक्षा में उत्तीर्ण।

बी.बी.ए.– इण्टरमीडिएट या समकक्ष कक्षा में उत्तीर्ण।

बी.एफ.ए.– इण्टरमीडिएट या समकक्ष कक्षा में उत्तीर्ण।

स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु अर्हता

सम्बन्धित विषय में स्नातक होना अनिवार्य है।

नई शिक्षा नीति के अनुसार दिशा निर्देश

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्नातक के प्रत्येक सेमेस्टर में कौशल विकास/वोकेशनल की परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्नातक प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में से किसी एक सेमेस्टर में माइनर इलेक्टिव की परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा।
3. आंतरिक मूल्यांकन (25 अंक)

a- क्लास टेस्ट

b- प्रेजेन्टेशन

c- प्रोजेक्ट रीपोर्ट/सेमीनार

d- छात्र की उपस्थिति एवं अन्य शैक्षिक गति विधियां

जाँच सूची

आवेदन पत्र जमा करने से पहले अभ्यर्थी निम्नलिखित बातों की जाँच अवश्य ही कर लें।

1. आवेदन पत्र हर दृष्टि से पूर्ण हो तथा घोषणा अभ्यर्थी व उसके पिता/अभिभावक के द्वारा ही हस्ताक्षरित हो। अपूर्ण आवेदन–पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।
1. पासपोर्ट आकार के नवीनतम फोटो आवेदन–पत्र पर सही जगह गोद से चिपके हैं तथा सभी स्वहस्ताक्षरित हैं।
2. आवेदन पत्र के साथ श्रेणी (वर्ग) उप श्रेणी (उपवर्ग) आदि की उपयुक्त प्रविष्टियाँ आवेदन–पत्र में सही जगह भर दें, अन्यथा किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा।

काउन्सिलिंग के समय निम्नलिखित के साथ उपस्थित हों–

1. मूल प्रवेश–फॉर्म।
2. हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा मूल अंक तालिका एवं प्रमाण–पत्र तथा उसकी छाया प्रतियाँ।
3. इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा मूल अंक तालिका एवं प्रमाण–पत्र तथा उसकी छाया प्रतियाँ।
4. स्नातक या समकक्ष परीक्षा मूल अंक तालिका एवं प्रमाण–पत्र तथा उसकी छाया प्रतियाँ।
5. चरित्र प्रमाण–पत्र की मूल प्रति।
6. स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र,(T.C)/माइग्रेशन प्रमाण–पत्र की मूल प्रति।
7. श्रेणी (वर्ग), उपश्रेणी (उपवर्ग), अधिभार सम्बन्धित मूल प्रमाण–पत्र तथा एवं छाया प्रति।

8. निर्धारित शैक्षणिक शुल्क।
9. एन्टी–रैगिंग सम्बन्धित दो शपथ–पत्र (विद्यार्थी एवं अभिभावक द्वारा) प्रारुप वेबसाइट पर उपलब्ध है।

संस्था की परिकल्पना–

1. छात्रों का सर्वांगीण विकास करना।
2. आत्मनिर्भर एवं प्रबुद्ध नागरिक समुदाय विकसित करने में सहायता करना।
3. युवाओं में चरित्र–निर्माण का सम्बर्धन करना।

संस्था का विशिष्ट उद्‌देश्य–

1. सभी विद्यार्थियों में शिक्षा का विकास करना, मुख्यतः ग्रामीण समुदाय को दृष्टिगत रखते हुए।
2. समुदाय के साथ सहयोगात्मक एवं सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना।
3. स्वस्थ पर्यावरण का संरक्षण एवं सम्बर्धन करना।

सामान्य नियम

1. प्रत्येक छात्र/छात्राओं को अनुशासित, सचेष्ट तथा सतर्क रुप में आचरण करना होगा। कक्षा में समय से आना, शान्ति बनायें रखना, प्रत्येक छात्र/छात्रा की प्राथमिकता होगी।
2. छात्र/छात्रा को अपना परिचय–पत्र सदैव साथ रखना होगा। किसी भी अध्यापक या प्राक्टर द्वारा कभी भी मॉगा जा सकता है।
3. महाविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। इस नियम का पालन न करने वाले छात्र/छात्रा का परीक्षा फार्म रोक दिया जायेगा।
4. महाविद्यालय के सभी शुल्कों का समय से भुगतान करना प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। किसी भी विद्यार्थी को वार्षिक परीक्षा हेतु प्रवेश–पत्र तभी दिया जायेगा जब वह महाविद्यालय के सभी शुल्क जमा कर देगा तथा सभी सम्बन्धित विभागों एवं पुस्तकालय से अदेय प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लेगा।
5. महाविद्यालय के नियमों का उल्लंघन करने, लगातार अनुपस्थित रहने, शान्ति व्यवस्था भंग करने तथा अन्य अनियमितताओं में शामिल होने के कारण विद्यार्थी को महाविद्यालय से कभी भी निष्कासित किया जा सकता है।
6. रैगिग एक दण्डनीय अपराध है तथा इसमें संलिप्त पाये जाने पर तत्काल कार्यवाही की जायेगी।
7. किसी छात्र/छात्रा के प्रवेश को रखने या निरस्त करने का सर्वाधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित है।

विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

1. प्रवेश के पश्चात विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति फार्म प्राप्त कर भरना आवश्यक है। छात्रवृत्ति फार्म न भरने पर छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होगी।
2. प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय में प्रवेश के पश्चात विश्वविद्यालय का परीक्षा फार्म भरना आवश्यक है।
3. परीक्षा फार्म जमा करने हेतु महाविद्यालय में परीक्षा कार्यालय से सम्पर्क करें।
4. परीक्षा फार्म न जमा करने की स्थिति में परीक्षा से वंचित माना जायेगा।
5. यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा फार्म जमा नहीं करता है तो इसका उत्तरदायित्व विद्यार्थी का स्वतः होगा।
6. परीक्षा फार्म न जमा करने पर विद्यार्थी को शुल्क वापस नहीं किया जायेगा तथा उसे पुनः प्रवेश लेते समय पूर्ण शुल्क जमा करना होगा।
7. एक संकाय से दूसरे संकाय में स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा और न ही शुल्क वापस किया जायेगा।
8. पुस्तकालय से पुस्तक नियमानुसार प्रदान की जायेगी।
9. किसी भी दशा में शुल्क वापसी व्यवस्था नहीं है।
10. महाविद्यालय में सम्पन्न होने वाली विभिन्न कार्यक्रमों में सभी विद्यार्थियों की प्रतिभागिता अपेक्षित है। विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया जायेगा।
11. जो विद्यार्थी संगीत, कला, वाद–विवाद, भाषण, लेखन व अन्य विद्या में पारंगत हैं, प्राचार्य/कार्यक्रम अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।
12. प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को महाविद्यालय से पारितोषिक प्रदान किया जाता है।
13. कक्षा में मोबाइल/गुटखा/अन्य नशा के पदार्थ का सेवन वर्जित है। कक्षा में मोबाइल बजने पर अर्थदण्ड लिया जायेगा तथा बार–बार गलती करने पर अन्य कार्यवाही की जायेगी।
14. महाविद्यालय में विद्यार्थियों से पठन–पाठन में सहयोग करने की अपेक्षा की जाती है।
15. महाविद्यालय में परीक्षा काल में कक्षों में छात्र/छात्रा के पास प्रवेश–पत्र, पेन, स्केल, स्केच, के अतिरिक्त कोई भी कागज व इलेक्ट्रानिक सामान अनुचित साधन प्रयोग की श्रेणी आयेगा।

परीक्षा आवेदन–पत्र

प्रत्येक छात्र/छात्रा द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि के भीतर आवेदन–पत्र आनलाइन शुद्ध एवं पूर्णरुप से केवल एक भाषा में (हिन्दी अंग्रेजी दोनों भाषाओ का मिश्रण नहीं) भरकर कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। इस कार्य में विद्यार्थियों को विशेष रुप से सावधान रहना चाहिए। परीक्षा आवेदन–पत्र के जॉच पत्र में विषयों/प्रश्न–पत्रों का नाम शुद्ध रुप से भरने या लिए गये विषयों एवं प्रश्न–पत्रों को परीक्षा आवेदन–पत्र, कम्प्यूटर प्रोफार्मा एवं जॉच पत्र में न लिखने पर उन विषयों के प्रश्न–पत्रों में परीक्षा न दे सकने का उत्तरदायित्व विद्यार्थी पर ही होगा। परीक्षा आवेदन–पत्र में विषयों/प्रश्न–पत्रों का नाम शुद्ध रुप से भरने हेतु सम्बन्धित विभाग परीक्षा विभाग में सम्पर्क किया जा सकता है।

जो विद्यार्थी अपना परीक्षा आवेदन–पत्र सम्यक् रुप से भरकर योग्यता प्रदायी परीक्षा के अंक–पत्र के साथ विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा आवेदन–पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक जमा कर देंगे, केवल उन्हीं का परीक्षा आवेदन–पत्र अग्रसारित किया जायेगा। अपूर्ण, अस्थायी प्रवेश प्राप्त एवं निर्धारित तिथि के पश्चात् परीक्षा आवेदन–पत्र जमा करने वाले अभ्यर्थियों का परीक्षा आवेदन–पत्र किसी भी अवस्था मे अग्रसारित नहीं किया जायेगा।

नामांकन

महाविद्यालय में पहली बार प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को विश्वविद्यालय में नामांकित होने के लिए प्रवेश शुल्क जमा करते समय नामांकन आवेदन–पत्र भरना आवश्यक है। नामांकन आवेदन–पत्र के साथ विद्यार्थियों को अपनी पूर्व शिक्षण संस्था से प्राप्त स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र/प्रवजन प्रमाण–पत्र की मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

प्रतिभूति धन की वापसी बी.ए. तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए

परीक्षाफल घोषित होने के तीन महीने बाद आवेदन करने पर छात्र को प्रतिभूति–धन लौटा दिया जायेगा। तीन वर्ष की अवधि के भीतर आवेदन न करने पर यह धन कालातीत होकर प्रतिभूति–कोष में जमा रहेगा।

अनुशासनिक नियम एवं निर्देश

आप एक विद्यार्थी के रुप में महाविद्यालय के सदस्य है और आशा की जाती है कि आप अपने क्रियाकलापों एवं आचरण के प्रति सचेष्ट रहकर महाविद्यालय के गौरव की अभिवृद्धि करेंगे। एतद् नियमित प्रत्येक विद्यार्थी को निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना आवश्यक है–

1. प्रत्येक विद्यार्थी को एक परिचय–पत्र प्राप्त होगा जिसे सदैव अपने पास रखना आवश्यक है और महाविद्यालय प्राध्यापकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा मॉगने पर तत्काल दिखाना अनिवार्य है।
2. परिचय–पत्र का नवीनीकरण प्रतिवर्ष होगा।
3. परिचय–पत्र के गायब हो जाने या किसी दूसरे का परिचय–पत्र पा जाने की सूचना छात्र को महाविद्यालय कार्यालय में अवश्य देनी चाहिए।
4. जिस छात्र का मूल परिचय–पत्र गायब हो जायेगा, उसे महाविद्यालय कार्यालय में रु0 50.00 शुल्क जमा करके परिचय–पत्र प्राप्त करना होगा। यदि छात्र पुस्तकालय कार्ड भी प्राप्त करना चाहता है तो इसके लिए भी अलग से रु0 20 जमा करना होगा। इसके लिए उसे आवश्यक सूचनाओं के साथ कार्यालय में एक प्रार्थना–पत्र भी देना होगा।
5. किसी छात्र द्वारा अन्य के परिचय–पत्र का प्रयोग अक्षम्य अपराध माना जायेगा।
6. रैगिंग दण्डनीय अपराध है।

विशेष ध्यातव्य नियम

यह विशेष ध्यातव्य है कि आप जब तक महाविद्यालय में रहें, यहाँ के नियमों एवं अनुशासन का पूर्ण पालन निम्नलिखित कार्यकलाप पूर्ण वर्जित है–

1. महाविद्यालय का कोई छात्र/छात्रा परेशानी या किसी तरह की अनुशासनहीनता की दशा में प्राचार्य/प्राक्टोरियल बोर्ड से सम्पर्क करें।
2. कोई छात्र/छात्रा महाविद्यालय में किसी तरह का हथियार लेकर प्रवेश नहीं करेगा।
3. किसी भी दशा में महाविद्यालय का कोई छात्र/छात्रा किसी तरह की मारपीट, गाली–गलौज, अराजकता उत्पन्न करने की कोशिश नहीं करेगा। पीड़ित होने की दशा में प्राक्टोरियल बोर्ड/प्राचार्य से सम्पर्क करें।
4. अनुशासनहीनत करते हुए पाये जाने पर सम्बन्धित छात्र/छात्रा के ऊपर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
5. महाविद्यालय में पठन–पाठन, अनुशासन, पुस्कालय में होने वाली कठिनाइयों के सम्बन्ध में स्वलिखित रुप में प्राचार्य को अवगत करायें।

साइकिल स्टैण्ड

साइकिल स्टैण्ड निःशुल्क है तथा विद्यार्थी स्टैण्ड में ही अपना वाहन जमा करेंगे तथा ताला लगाकर ही वाहन रखेंगे। खो जाने पर महाविद्यालय की जिम्मेवारी नहीं होगी, टोकन अवश्य प्राप्त कर लें।

उपस्थिति

विश्वविद्यालय नियमानुसार प्रत्येक विद्यार्थी की प्रत्येक कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। इससे कम उपस्थिति वाले छात्रों को परीक्षा से वंचित होना पड़ सकता है। विद्यार्थी को समय–समय पर अपनी उपस्थिति कि विषय में अवगत रहने के लिए निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

क. विद्यार्थियों को उनकी उपस्थिति की न्यूनता सम्बन्धी सूचना के लिए समय–समय पर सूचना पट्ट पर सूचनाएँ लिखी जाती है। अभिभावकों से आशा की जाती है कि वे अपने पाल्यों का पूरा ध्यान रखेंगे।

ख. अध्यापक अपनी कक्षा–पंजिकाओं में भी उपस्थिति का ब्यौरा रखते हैं। विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे सम्बन्धित अध्यापकों से समय–समय पर अपनी उपस्थिति की जानकारी के लिए सम्पर्क करते रहेंगे।

परिसर साक्षात्कार

कैरियर एवं काउन्सिलिंग सेल महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के कैरियर हेतु आवश्यक सुझाव एवं निर्देशन प्रदान करता है। विभिन्न ख्यातिलब्ध संस्थाओं से रिसोर्स परसन्स को आमंत्रित कर महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों को उनसे परिसंवाद का अवसर उपलब्ध कराया जाता है। विभिन्न कम्पनियों/संस्थाओं द्वारा परिसर साक्षात्कार की मॉग पर छात्र/छात्राओं का साक्षात्कार कराया जाता है।

रियायती रेलवे यात्रा

रेलवे के नये नियम के अनुसार रियायती रेलवे यात्रा के लिए केवल ग्रीष्मावकाश, दुर्गापूजा तथा शारदीय अवकाश में छात्रों को घर जाने के निमित्त ही रेलवे कन्सेशन दिये जायेंगे। प्रवेश आवेदन–पत्र में उल्लिखित स्थायी पते पर ही रेलवे कन्सेशन दिये जायेंगे। स्थायी पते में परिवर्तन होने पर प्राचार्य को सप्रमाण तुरन्त सूचित करें अन्यथा परिवर्तित पते पर कन्सेशन की सुविधा प्राप्त नहीं हो सकेगी।

राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.)

महाविद्यालय में नव प्रवेशी छात्र/छात्राओं हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई विधिवत कार्यरत है। इसके हेतु कार्यक्रम अधिकारी डॉ. प्रमोद कुमार श्रीवास्तव एवं डॉ. कृपा शंकर सिंह विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त हैं। इच्छुक छात्र/छात्रायें इनसे सम्पर्क कर सकते हैं।

रोवर्स/रेंजर्स प्रशिक्षण

महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं हेतु रोवर्स/रेंजर्स की इकाइयाँ कार्यरत है, जिसके प्रमाण–पत्र के आधार पर विभिन्न स्तरों पर भारांक निर्धारित है। इस हेतु डॉ. लक्ष्मी सिंह, डॉ. अमिता श्रीवास्तव एवं डॉ. सुरेश सिंह समन्वयक नियुक्त हैं। इच्छुक छात्र/छात्रा इनसे सम्पर्क कर सकते हैं।

एन.सी.सी.

महाविद्यालय में छात्रों हेतु एन.सी.सी. (2UP EME COY NCC) की इकाइयाँ कार्यरत है, जिसके प्रमाण–पत्र के आधार पर विभिन्न स्तरों पर भारांक निर्धारित है। इस हेतु डॉ. सुरेश सिंह एन.सी.सी. प्रभारी नियुक्त हैं। इच्छुक छात्र इनसे सम्पर्क कर सकते हैं।

सूचना प्रसारण

महाविद्यालय की शैक्षणिक, सांस्कृतिक, खेल–कूद, प्रवेश तथा परीक्षा विषयक और अन्य समस्त आवश्यक गतिविधियों से सम्बन्धित सूचनाओं को सूचना पट्ट पर लगा दिया जाता है। महाविद्यालय की दैनिक गतिविधियों से अवगत होते रहने के लिए छात्रों को नियमित रुप से सूचना–पट्ट का अवलोकन करते रहना चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो अनेक आवश्यक महाविद्यालयीय गतिविधियों की जानकारी से वंचित हो जायेंगे और ऐसी अवस्था में अनेक सुअवसरों से लाभ न उठा पाने के उत्तरदायी वे स्वयं होंगे।

विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों से सम्बन्धित सूचना भी समय–समय पर सूचना पट्ट पर लगा दी जाती है। इस विषय में जानकारी हेतु विद्यार्थी महाविद्यालय में सम्बन्धित कार्यालय सहायक से सम्पर्क करें।

परीक्षा विभाग

अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण अंक–पत्रों के लिए परीक्षा प्रकोष्ठ की व्यवस्था की गयी है। परीक्षा सम्बन्धी किसी अन्य समस्या के लिए भी इस विभाग से सम्पर्क किया जा सकता है।

प्राचार्य

जगतपुर पी.जी. कालेज, जगतपुर वाराणसी
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्देशों के अनुसार सत्र 2022–2023 शुल्क विवरण

शुल्क विवरण				
कक्षा	प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा शुल्क	प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर शुल्क	कैशल विकास, मिडटर्म परीक्षा, डाटा संग्रह शुल्क	सम्पूर्ण शुल्क
बी.ए. प्रथम वर्ष	रु0 2100.00	रु0 5290.00	रु0 750.00	रु0 8140.00
बी.एस–सी. प्रथम वर्ष	रु0 2100.00	रु0 11450.00	रु0 750.00	रु0 14300.00
बी.कॉम. प्रथम वर्ष	रु0 2100.00	रु0 10950.00	रु0 750.00	रु0 13800.00
एम.कॉम. प्रथम वर्ष	रु0 2100.00	रु0 15900.00	–	रु0 18000.00
एम.ए. हिन्दी प्रथम वर्ष	रु0 2100.00	रु0 10900.00	–	रु0 13000.00
एम.ए. मनोविज्ञान प्रथम वर्ष	रु0 2100.00	रु0 10900.00	–	रु0 13000.00
एम.ए. अंग्रेजी प्रथम वर्ष	रु0 2100.00	रु0 10900.00	–	रु0 13000.00
बी.एफ.ए. प्रथम वर्ष	रु0 2100.00	रु0 10900.00	–	रु0 13000.00
एम.ए. समाजशास्त्र	रु0 2100.00	रू0 2094.00	–	रु0 4194.00
एम.ए. इतिहास	रु0 2100.00	रू0 2094.00	–	रु0 4194.00

कक्षा	प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा शुल्क	प्रथम सेमेस्टर शुल्क	प्रथम किस्त	द्वितीय सेमेस्टर शुल्क (द्वितीय किस्त)	सम्पूर्ण शुल्क
बी.सी.ए. प्रथम वर्ष	रु0 2100.00	रु0 17900.00	रु0 20000.00	रू0 13000.00	रु0 33000.00
बी.बी.ए. प्रथम वर्ष	रु0 2100.00	रु0 12900.00	रु0 15000.00	रू0 10000.00	रु0 25000.00
एम.एस–सी.– भौतिक	रु0 2100.00	रु0 12900.00	रु0 15000.00	रू0 10000.00	रु0 25000.00
एम.एस–सी.– रसायन	रु0 2100.00	रु0 12900.00	रु0 15000.00	रू0 10000.00	रु0 25000.00
एम.एस–सी.– गणित	रु0 2100.00	रु0 12900.00	रु0 15000.00	रू0 10000.00	रु0 25000.00
एम.ए.– गृहविज्ञान	रु0 2100.00	रु0 12900.00	रु0 15000.00	रू0 13000.00	रु0 28000.00
शोध शुल्क – समाजशास्त्र	रु0 10000.00				

नोट–

1. महाविद्यालय द्वारा छात्र/छात्राओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बी.सी.ए., बी.बी.ए., एम.एस–सी. भौतिक, एम. एस–सी. रसायन, एम.एस–सी. गणित एवं एम.ए. गृहविज्ञान हेतु दो किस्तों में शुल्क जमा करने की विशेष व्यवस्था प्रदान की गयी है।
2. समस्त शुल्क महाविद्यालय के यूको बैंक शाखा जगतपुर में ऑनलाइन जमा किया जायेगा।
3. बी.ए., बी.एस–सी., बी.कॉम., बी.सी.ए., बी.बी.ए. व बी.एफ.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर सेमेस्टर के छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि यदि विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क में बृद्धि होती है तो परीक्षा फार्म भरते समय अतिरिक्त परीक्षा शुल्क अनिवार्य रुप से देय होगा।
4. चालान बैंक में जमा करने के पश्चात सम्बन्धित विभाग/संकाय में अपना प्रवेश सुनिश्चित करने हेतु शुल्क रशीद उनसे प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।

OPPO A15s

OPPO A15s

जगतपुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय
श्री राम जन्मभूमि मंदिर
अयोध्या
OPPO A15s

जगतपुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय
मुख्य अतिथि
प्राचार्य
OPPO A15s